भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.679
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

परिरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना में निवेश

679. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा परिरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना में कृषि और गैर-कृषि निवेशों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसानों को प्रदान की गई क्षमता निर्माण पहलों अथवा सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र अंबरेला स्कीम - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं (i) मेगा फूड पार्क योजना, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना, (iii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज़ सृजन योजना, (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स, के कार्यान्वयन के माध्यम से मंत्रालय संग्रह केंद्रों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, बल्क मिल्क कूलर और प्री-प्रोसेसिंग सुविधाओं जैसी ऑन-फार्म अवसंरचना सुविधाओं और तैयार माल के गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, विकिरण केंद्र जैसी खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों/इकाइयों जैसी ऑफ-फार्म अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में सहायता करता है। पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 से 2023-24 (दिनांक 25.01.2024 तक) तक इन घटक योजनाओं के अंतर्गत 5715.39 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान सहित 22,333.57 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से 940 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनसे 293.93 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण हुआ।

(ख): एमओएफपीआई अपनी केंद्र प्रायोजित योजना - प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्दम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, कुंडली (निफ़्टेम-के), हरियाणा और निफ़्टेम तंजावुर (निफ़्टेम-टी), तमिलनाडु के माध्यम से फसल के बाद के नुकसान में कमी सहित खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में शामिल उद्यमियों और किसानों को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इन संस्थागत तंत्रों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और किसानों को प्रदान किए गए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है :

योजना/संस्थान	**प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या**		
	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण	**किसानों के लिए क्षमता निर्माण**	**कुल लाभार्थी**
पीएमएफएमई	62140	-	62140
निफ्टेम-के	14845	-	14845
निफ्टेम-टी	22356	1227	23583
कुल	**99341**	**1227**	**100568**

******